प्रेस नोट

दिनांक – 22.10.2026

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा मोबाइल टावर से केबल व घरों में चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, चोरी के जेवरात, नकदी एवं केबल बरामद-

कार्यवाही—

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा रात्रि गश्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान जिगनिहा तिराहे पर मोटरसाइकिल सवार 02 व्यक्तियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के जेवरात, नकदी एवं कॉपर/एल्युमीनियम पावर केबल बरामद हुए। अभियुक्तों के कब्जे से बरामद पल्सर मोटरसाइकिल के वैध कागजात प्रस्तुत न किए जाने पर धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 15/16.09.2026 की रात्रि थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बक्सीपुरवा डेबरीकला में अज्ञात चोरों द्वारा छत के रास्ते घर में प्रवेश कर चोरी की घटना कारित की गई थी। तहरीर के अनुसार चोर घर से जेवरात एवं ₹3,000/- नगद तथा पड़ोसी श्यामलाल मौर्य के घर से ₹15,000/- नगद चोरी कर ले गये थे। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना धानेपुर पर मु0अ0सं0-329/2026 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त दिनांक 21.10.2026 को ग्राम गूंगीदेई स्थित एयरटेल इण्डस टावर संख्या IN3189281 से अज्ञात चोरों द्वारा पावर केबल काटकर चोरी कर लिया गया था। इस सम्बन्ध में सुरक्षा कम्पनी के जिला सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार सिंह द्वारा थाना धानेपुर पर सूचना दी गई थी तथा घटना के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में दिनांक 21/22.10.2026 की रात्रि थाना धानेपुर पुलिस द्वारा जिगनिहा तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान गनवरिया की ओर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे दो व्यक्ति पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल मोड़कर वापस भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 06 पीस कॉपर पावर केबल तथा 01 पीस पावर केबल एवं

एल्युमीनियम, 02 जोड़ी पायल, 01 अंगूठी एवं ₹4,250/- नगद बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बरामद पावर केबल को दिन में गूंगीदेई स्थित मोबाइल टावर से काटकर चोरी करना तथा बरामद जेवरात एवं नकदी को करीब एक माह पूर्व बक्सीपुरवा डेबरीकला में दो घरों से चोरी करना स्वीकार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. अवनीश उर्फ संजय शुक्ला पुत्र स्व0 देवेन्द्र शुक्ला, निवासी लोहसीसा पूरे सिधारी, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा
2. हरिओम तिवारी पुत्र स्वामी शरण तिवारी, निवासी लोहसी पूरे सिधारी, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग—

- मु0अ0सं0 329/2026, धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस, थाना धानेपुर।
- मु0अ0सं0 371/2026, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना धानेपुर।

बरामदगी—

- 02 जोड़ी पायल सफेद धातु।
- 01 अदद अंगूठी पीली धातु।
- ₹4,250/- नगद।
- 06 पीस कॉपर पावर केबल।
- 01 पीस पावर केबल एवं एल्युमीनियम।
- 01 अदद पल्सर मोटरसाइकिल नं0 GJ07EE5378, धारा 207 एमवी एक्ट में सीज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- उ0नि0 गंगोत्री यादव
- हे0का0 रवि प्रकाश यादव
- का0 सुरेन्द्र कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 22.10.2026

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

थाना खरगूपुर पर वादिनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 245/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त अर्जुन पुत्र जगन्नाथ सोनकर निवासी ग्राम बीरपुर झलहिया, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

कार्यवाही—

दिनांक 22.10.2026 को उ0नि0 देवेंद्र सिंह यादव मय हमराह कांस्टेबल गौरव सिंह द्वारा क्षेत्र में भ्रमण एवं वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर भवनियापुर चौराहा स्थित यात्री शेड से अभियुक्त अर्जुन पुत्र जगन्नाथ सोनकर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगुपूर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01- अर्जुन पुत्र जगन्नाथ सोनकर, निवासी ग्राम बीरपुर झलहिया, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग—

02- मु0अ0सं0 245/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली टीम—

1. उ0नि0 देवेंद्र सिंह यादव
2. कांस्टेबल गौरव सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 22.10.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी का लैपटॉप बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 20.10.2026 की रात्रि लगभग 10:00 बजे थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत पोर्टरगंज, पोस्ट पथवलिया निवासी विनोद कुमार यादव की मोबाइल दुकान का शटर खोलकर काउंटर में रखा एक पुराना एचपी कम्पनी का लैपटॉप तथा मरम्मत के लिए आए दो मोबाइल फोन चोरी हो गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त सामान की काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। प्रार्थी के अनुसार, घटना के संबंध में पूछताछ करने पर विपक्षी के भाई द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत हुआ था।

कार्यवाही—

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 22-10-2026 को कुड़वा सम्मय माता मंदिर से बादशाहबाग चौराहा जाने वाली सड़क के पास से अभियुक्त विजय प्रकाश पाण्डेय उर्फ अमूल को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक लैपटॉप व दो मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01- विजय प्रकाश पाण्डेय उर्फ अमूल पुत्र राजेश नारायण पाण्डेय नि0 भट्टा परेड सरकार, पोस्ट- प्रधान डाकघर गोण्डा, थाना- कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0- 960/2026 धारा 303(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01- 01 अदद लैपटॉप

02- 01 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

01- उ0नि0 शिवम मित्रा

02- का0 संदीप कुमार यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 22.10.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा छिनैती करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, 01 अदद मोबाइल फोन बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 20.10.2026 को वादिनी रेखा शुक्ला पत्नी उमाकान्त शुक्ला, निवासी पन्तनगर फोरबिसगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा द्वारा तहरीर दी गई कि वह शाम के समय चौराहे से सब्जी लेकर अपने घर वापस आ रही थीं। घर के पास पहुंचने पर दो अज्ञात युवकों द्वारा झपट्टा मारकर उनका रेडमी कम्पनी का लाल रंग का मोबाइल फोन छीन लिया गया तथा मौके से फरार हो गए। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर पर सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

कार्यवाही—

आज दिनांक 22.10.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 02 अभियुक्तों को आसरा आवास कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. अंशू पुत्र मुन्ना वाल्मीकि, निवासी काशीराम कॉलोनी, प्रकाश टेंट के पीछे, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
2. लक्की वाल्मीकि पुत्र गुड्ड वाल्मीकि, निवासी काशीराम कॉलोनी, प्रकाश टेंट के पीछे, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 0958/2026, धारा 304(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

- 01 अदद मोबाइल फोन रेडमी, काले रंग के कवर सहित।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 पवन कुमार सिंह
2. हे0का0 शशिभूषण पाठक
3. का0 विनय प्रताप
4. का0 संदीप कुमार भारती

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 22.10.2026

गोण्डा पुलिस द्वारा महिला एवं बाल साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु चलाया गया अभियान-

गोण्डा। अक्टूबर माह में चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.10.2026 को जनपद गोण्डा के समस्त थानों द्वारा *Women and Child Cyber Safety (महिला एवं बाल साइबर सुरक्षा)* विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करते हुए अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करते समय सावधानी बरतने, सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने तथा ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर स्टॉकिंग एवं ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे साइबर अपराधों की पहचान और उनसे बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही, साइबर अपराध से पीड़ित होने पर तत्काल *राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल www.cybercrime.gov.in* पर शिकायत दर्ज कराने के संबंध में जागरूक किया गया। गोण्डा पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे स्वयं जागरूक रहें तथा महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराने में सहयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 22.10.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन-2026 को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने हेतु ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की ब्रीफिंग कर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

गोण्डा। आज दिनांक 22.10.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अभिषेक द्वारा अमर शहीद राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी बहुउद्देशीय हॉल में उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र-2026 को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने हेतु ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की ब्रीफिंग की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्वाचन ड्यूटी में लगे समस्त पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा एवं सतर्कता के साथ निर्वहन करने, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क दृष्टि रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष बनाए रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चि0 श्री नितेश सहित अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।